UPSI010050402024

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।
उपस्थित – आशीष जैन (एच.जे.एस.)
(J.O.Code UP02024)
दाण्डिक अपील संख्या–37/2024
C.I.S. No. 37/2024

1. अनिल कुमार उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र श्रीराम

2. सुरेश कुमार उम्र करीब 72 वर्ष पुत्र विशुन कुमार

सर्वनिवासीगण ग्राम बोधेपुर थाना सिधौली जिला सीतापुर।

.... अपीलार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम्

1.उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सीतापुर।

.......उत्तरदाता।

निर्णय

प्रस्तुत दाण्डिक अपील अर्न्तगत धारा 415(3) बी.एन.एस.एस., अपीलार्थीगण अनिल कुमार एवं सुरेश कुमार द्वारा फौ0वाद सं0 891/2009, मुकदमा अपराध सं0 62ए/1995, अर्न्तगत धारा 323/34,504,506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना सिधौली, जिला सीतापुर के प्रकरण में विद्वान तृतीय अपर सिविल जज, सी0डि0 सीतापुर, द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांकित 15.07.2024 के विरूद्ध योजित की गयी है जिसके अनुसार विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थीगण /अभियुक्तगण अनिल कुमार एवं सुरेश कुमार को धारा 323/34 भा0दं0सं0 के अपराध में प्रत्येक को तीन वर्ष के साधारण कारावास व मु0 1,000/– रूपये के अर्थदण्ड से तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा–504 में प्रत्येक को 01 वर्ष के साधारण कारावास व मु0 500/– रूपये के अर्थदण्ड से, भारतीय दण्ड संहिता की धारा–506 में प्रत्येक को 01 वर्ष के साधारण कारावास व मु0 500/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह भी आदेश पारित किया गया है कि सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी तथा अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गई अवधि उपरोक्त सजा में समाहित होगी।

Digitally signed by Ashish Jain
Date: 2026.08.14 16:16:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions
Court,STP.

अपील से सम्बंधित संक्षेप में अभियोजन **कथानक** इस प्रकार है कि वादी मुकदमा निर्मल कुमार ने थाना सिधौली, जिला सीतापुर में लिखित तहरीर इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 30.03.1995 को समय करीब 02:00 बजे दोपहर बहद ग्राम बोधेपुर अन्तर्गत थाना सिधौली में अभियुक्तगण अनिल कुमार, सुनील कुमार व सुरेश कुमार ने एक राय होकर वादी मुकदमा निर्मल कुमार से गन्ने के खेत में जानवर चराने के बावत कहासुनी होने पर लाठी डंडों से मारा पीटा, गन्दी–गन्दी गालियां दी तथा जान से मारने की धमकी दी।

वादी मुकदमा की उक्त लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण अनिल कुमार, सुनील एवं सुरेश कुमार के विरूद्ध थाना सिधौली, जनपद सीतापुर में मुकदमा अपराध संख्या 62ए/1995 धारा 323, 504, 506, 324 भारतीय दण्ड संहिता पंजीकृत किया गया।

बाद विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्तगण अनिल कुमार, सुनील कुमार व सुरेश कुमार के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप–पत्र अवर न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये और उनके द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष अपनी जमानते दाखिल की गयी।

अवर न्यायालय द्वारा दिनांक–09.12.1996 को अभियुक्तगण अनिल कुमार, सुनील कुमार व सुरेश कुमार के विरूद्ध धारा 323/34, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध लगाये गये आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की याचना की।

दौरान विचारण अभियुक्त सुनील कुमार की मृत्यु हो जाने पर उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही अवर न्यायालय द्वारा उपशमित की जा चुकी है।

अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथानक को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया है।

कम संख्या	**साक्षी का नाम**	
1.	ओम हरी वर्मा	पी0डब्लू0–1
2.	निर्मल कुमार	पी0डब्लू0–2
3.	कृष्ण कुमार	पी0डब्लू0–3
4.	डा0महेश गुप्ता	पी0डब्लू0–4

अभियोजन की ओर से अवर न्यायालय के समक्ष निम्न प्रपत्र प्रस्तुत किये गये, जिनकी औपचारिक प्रमाणिकता को बचाव पक्ष द्वारा स्वीकार

किया गया है।

क्रम संख्या	**प्रपत्र**	**प्रदर्श**
1	जी0डी0 कार्बन प्रति	प्रदर्श क–1
2	तहरीर	प्रदर्श क–2
3	चिकित्सीय प्रपत्र संजीव कुमार	प्रदर्श क–3
4	चिकित्सीय प्रपत्र निर्मल कुमार	प्रदर्श क–4
5	प्रथम सूचना रिपोर्ट	
6	नक्शा नजरी	
7	आरोप पत्र	

विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 लेखबद्ध किया गया। अपीलार्थी/अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक से इन्कार किया तथा मुकदमा रंजिशन चलना बताया तथा साक्षीगण द्वारा गलत बयान दिया जाना बताया तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है तथा अपने अतिरिक्त कथन में कुछ नही कहा है।

अवर न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण की ओर से अन्तर्गत धारा–437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन किया गया है।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुनने के उपरान्त निर्णय व दण्डादेश दिनांकित 15.07.2024 पारित किया गया, जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा **अपीलार्थीगण /अभियुक्तगण अनिल कुमार एवं सुरेश कुमार को धारा 323/34 भा0दं0सं0 के अपराध में प्रत्येक को तीन वर्ष के साधारण कारावास व मु0 1,000/– रूपये के अर्थदण्ड से तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा–504 में प्रत्येक को 01 वर्ष के साधारण कारावास व मु0 500/– रूपये के अर्थदण्ड से, भारतीय दण्ड संहिता की धारा–506 में प्रत्येक को 01 वर्ष के साधारण कारावास व मु0 500/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह भी आदेश पारित किया गया है कि सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी तथा अभियुक्त** उक्त निर्णय व दण्डादेश से व्यथित होकर अपीलार्थी/अभियुक्तगण द्वारा यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है।

मेरे द्वारा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं उत्तरदाता/वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना गया तथा आक्षेपित दण्डादेश दिनॉकित

15.07.2024 एवं अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क किया गया कि अवर न्यायालय का आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाहो के बयानो में काफी विरोधाभाष है और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अपूर्ण एवं अविश्वसनीय होने के कारण प्रश्नगत पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अवर न्यायालय द्वारा साक्ष्य की उपेक्षा करके मनमाने तरीके से अपने कल्पना और कारण के आधार पर पारित निर्णय होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि डाक्टरी परीक्षण रिपोर्ट व बयान डाक्टर के अनुसार पी0डब्लू02 वादी निर्मल कुमार को जाहिरा चोट नही थी तथा निर्मल कुमार ने भी अपने बयानो में कोई जाहिरा चोट नही आना कहा है। अवर न्यायालय द्वारा उक्त साक्ष्य की उपेक्षा करके मनमाने तरीके से अपने कल्पना और कारण के आधार पर निर्णय पारित किये जाने के कारण निरस्त होने योग्य है।

अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वादी के पिता पुत्तू लाल व मंगल पासी को साक्ष्य में पेश नही किया गया है तथा न ही कथित चोटहिल संजीव को साक्ष्य में पेश किया गया है जब कि उक्त साक्षीगण कथित घटना के चक्षुदर्शी साक्षी थे।

अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य का सम्यक विश्लेषण किये दोष सिद्व का निर्णय नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत पारित किया गया है जो कि निरस्त होने योग्य है।

अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत मामले में क्रास केस है। इस तथ्य पर अवर न्यायालय ने विचार नहीं किया। उपरोक्त आधार पर अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 15.07.2024 को निरस्त करते हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क किया गया कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त को दृष्टिगत रखते हुये दण्डादेश पारित किया है जिसमें

कोई त्रुटि नही है। पी0डब्लू02 के बयान से अभियोजन कथानक युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित है। अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश में कोई त्रुटि नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण में तथ्य के साक्षी मजरूब पी0डब्लू0–2 निर्मल कुमार, जो कि वादी मुकदमा व घटना का चोटहिल है, को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है पी0डब्लू01 निर्मल कुमार के साक्ष्य में विरोधाभाष है, जो विश्वास किये जाने योग्य नहीं है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने मेहरबान सिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1997 सी0आर0एल0जे0 (एस0सी0) 766'' के निर्णय में यह व्यवस्था दी है कि तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य में आये साधारण एवं सामान्य अन्तर्विरोध उनकी साक्ष्य को नकारने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। ऐसे प्रश्नगत अन्तर्विरोध एवं विरोधाभाषों का मूल्यांकन किये जाते समय न्यायालय को यह अवधारित करना होगा कि उपरोक्त अन्तर्विरोध एवं विरोधाभाष अभियोजन पक्ष की कहानी एवं साक्ष्य के मूल बिन्दुओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है अथवा नहीं। यदि अभियोजन पक्ष की साक्ष्य एवं कहानी कुछ अन्तर्विरोध एवं विरोधाभाष से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होती है और वह सामान्य व साधारण है तो न्यायालय कथित अन्तर्विरोध के आधार पर अभियुक्त को आरोप मुक्त करने पर विचार नहीं कर सकती है।

इस क्रम में मेरे द्वारा अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य के साक्षी **पी0डब्लू0–1 निर्मल कुमार वादी मुकदमा** के बयान का अवलोकन किया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि :–

''दिनांक 30.03.1995 की बात है समय लगभग 2 बजे का है। जब वह ग्राम छांजन की तरफ से आ रहा था। गांव के पास उसके मामा राजकुमार का खेत है। खेत में गन्ना लगा था, जिसमें जानवर चर रहे थे। साथ में उसके पिता पुत्तूलाल भी थे। उसने कहा कि गाय खेत में क्यों चरा रहे हो। जिस पर अनिल कुमार ने कहा कि क्या तुम्हारे बाप का खेत है। जिस पर उसने कहा कि उसके बाप का नहीं, उसके मामा का खेत है। वह जानवरों को हांकने लगा, तब तक मौके पर सुरेश व सुनील मौके पर आ गये। सुरेश ने कहा कि मारो सालों को, जिस पर सुरेश, अनिल व सुनील ने लात घूसों से मारने लगे। शोर पर संजीव उसके भाई आ गये और उसके पिता पुत्तीलाल,

राजकुमार, मंगलू पासी आदि आ गये, जिन्होंने घटना देखी थी। उसके भाई संजीव को अनिल ने फावड़ा मारा था, जो बाये पैर के पंजे पर लगा था। तीनों मुल्जिमानों ने गन्दी–गन्दी गालियां दी थी। घटना के बावत वह लोग थाने गये थे। उसने दरोगा जी से रिपोर्ट लिखने के लिये कहा था। वहां पर थाने पर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। तब उसके द्वारा एक प्रार्थना पत्र टाईप कराकर पुलिस अधीक्षक को दिया, जिस पर मुकदमा निल/95 धारा 323,504,506,324 भा0दं0सं0 बनाम अनिल कुमार आदि कोतवाली सीतापुर पर मुकदमा कायम किया गया, जो तहरीर टाईपशुदा शामिल मिसिल है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है।। तहरीर पढ़कर सुनायी गयी। जिसकी पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। उसका तथा संजीव कुमार की चोटों को डाक्टरी मुआइना सरकारी अस्पताल सीतापुर में हुआ था, जो शामिल पत्रावली है। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था। उसकी निशादेही पर नक्शा नजरी बनाया था। '' उक्त साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष जिरह की गयी है जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि वह घटना वाले दिन 4 बजे थाने पहुंचा गया था व संजीव कुमार को साइकिल पर पीछे बैठा लिया था। तहरीर लिखकर थाने ले गया था। तहरीर उसने खुद लिखी थी। वह तहरीर लेकर घ टना वाले दिन वह सीतापुर नहीं आया था। वह दूसरे दिन सीतापुर आया था। उसने दरखास्त स्वयं टाईप करायी थी। कोतवाली दरखास्त लेकर नहीं गया था। वह कप्तान साहब के पास गया था। यह रिपोर्ट कोतवाली में उसने दूसरे दिन दी थी। उसकी डाक्टरी 2 तारीख को डेढ बजे दिन में करायी गयी थी। घ टना वाले दिन वह महमूदाबाद गया था। वह महमूदाबाद से वापस घर आ रहा था। घटना के समय उसके मामा राजकुमार पता नहीं कहा के लिए आ रहे थे। उनके साथ में एक आदमी मंगलू पासी भी था। वह व उसके भाई संजीव कुमार उसके मामा राजकुमार व गवाहनों को मिलाकर वह 6–7 लोग हो गये थे। उसने व उसके गवाहनों से मुल्जिमानों को मारा नहीं था। न उसने बचाव किया, क्योंकि वह अकेला पिट रहा था। उसे लात घूसों से मारा था। मुल्जिमानों ने उसकी पीठ पर लात घूंसों से मारा था। गुलम नहीं बने थे, खून नहीं निकला था, न ही खरोंच आयी थी। उसे कोई जाहिरा चोट नहीं आयी थी। जब उसे मारना शुरू किया, तब उसने हल्ला मचाया था। संजीव मारपीट के दौरान आये थे, लेकिन बाकी गवाहान मारपीट के बाद आये थे। उसके पिता ने जुबान से मना किया और कोई बचाव किया। मुल्जिमानों ने पिता जी को नहीं मारा था। जब मुल्जिमानों ने उसे मारा, उस समय मुल्जिमानों में से अनिल के पास छड़ी

व सुनील के पास फावड़ा व सुरेश खाली हाथ था। मुल्जिम अनिल ने उसे छड़ी से नहीं मारा न ही सुनील ने फावड़े से मारा। संजीव को केवल फावड़े से मारा गया था। उसके बायें पैर के पंजों में फावड़े की चोट थी। वह नहीं देख पाया था कि संजीव को फावड़े से कैसे मारा गया था। यह सही है कि उसे कोई जाहिरा चोट नहीं आयी थी। जहां की घटना है वहां पर उसके पिता पुत्तूलाल, उसके गवाह कृष्णकुमार,राजकुमार व मंगलू मौजूद थे। मुल्जिमानों ने उसे खेत के अन्दर मारा था। उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। घटना घटित होने की तिथि व समय में किसी प्रकार का कोई विरोधाभाष नहीं है। घटना के समय वादी मुकदमा की उपस्थिति, अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने का उद्देश्य इस साक्षी द्वारा साबित किया गया है। इस साक्षी द्वारा साबित किया गया है कि घटना 30.03.1995 को लगभग 2 बजे हुई एवं अभियुक्त सुरेश, अनिल व सुनील ने उसके साथ लात घूंसों से मारपीट की। शोर पर उसके भाई संजीव आ गये। उसके पिता भी आ गये। अनिल ने संजीव को फावड़े से मारा, जो बायें पंजे पर लगा। तीनों मुल्जिमानों ने गन्दी–गन्दी गाली दी। इस साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में कोई भी विरोधाभाषी कथन नहीं कहे गये हैं, जिससे अभियोजन कथानक में कोई संदेह उत्पन्न हो सके। वादी मुकदमा/चोटहिल की जिरह से उक्त घटना की तिथि समय व स्थान की पुष्टि होती है। उपरोक्त जिरह में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे वादी मुकदमा द्वारा मुख्य परीक्षा में किए गए कथनों का खण्डन होता है। ऐसी स्थिति में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वादी मुकदमा/चोटहिल का साक्ष्य विश्वसनीय एवं साक्ष्य में ग्राह्य होना पाया है।

अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विद्धान अधिवक्ता का तर्क है कि घटना के कथित साक्षी कृष्ण कुमार, जिन्हें अवर न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, ने घटना का समर्थन नहीं किया है। इस सम्बन्ध में साक्षी पी0डब्लू0–3 कृष्ण कुमार के साक्ष्य का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। इस साक्षी द्वारा कथन किया गया कि "घटना लगभग 15 वर्ष पूर्व की है। लगभग 2 बजे दिन का समय था। अनिल कुमार, राजकुमार के गन्ने के खेत में जानवर चरा रहे थे। निर्मल कुमार ने मना किया। दोनों में कहासुनी होने लगी। बगल के खेत में काम कर रहे सुनील ने निर्मल कुमार, संजीव कुमार व पुत्तूलाल को चोटे पहुचायी, गालियां दी तथा जान से मारने की धमकी दी।" यहां यह स्पष्ट है कि इस साक्षी ने कथित घटना का घटना दिनांक व समय पर होना स्वीकार किया है एवं यह कथन किया है कि उसने मुल्जिम अनिल, सुरेश को गाली गलौज,

मारपीट करते व जान से मारने की धमकी देते हुए नहीं देखा था। यह भी कथन किया है कि वह घटना के समय मौजूद नहीं था। इस सम्बन्ध में वादी मुकदमा निर्मल कुमार की प्रतिपरीक्षा उल्लेखनीय है, जिसमें कथन किया गया है कि "संजीव मारपीट के दौरान आये थे। लेकिन बाकी गवाहन मारपीट के बाद आये थे।" यहां यह सम्भव है कि गवाह कृष्ण कुमार मारपीट के बाद आये हों, इसलिए इन्होंने अनिल व सुरेश को मारते–पीटते नहीं देखा। साक्षी कृष्ण कुमार द्वारा अपनी परीक्षा में कथन किया गया है कि "अनिल कुमार, राजकुमार के गन्ने के खेत में जानवर चरा रहे थे। निर्मल कुमार ने मना किया तो दोनों में कहा सुनी होने लगी।" इस प्रकार घटना स्थल पर कथित समय व दिनांक पर अभियुक्त अनिल कुमार की उपस्थिति इस साक्षी द्वारा भी स्वीकार की गयी है।

अवर न्यायालय के समक्ष अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0–4 डॉक्टर महेश गुप्ता** द्वारा चोटहिल निर्मल कुमार की उपहति आख्या को न्यायालय में साबित किया गया है। उपहति आख्या से भी अभियोजन कथानक का पूर्णतया समर्थन हो रहा है। वादी मुकदमा द्वारा अपने साक्ष्य में कथन किया गया है कि मारपीट से उसे कोई जाहिरा चोट नहीं आयी थी। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि घटना का दिनांक 30.03.1995 है और चोटहिल का मेडिकल दिनांक 02.04.1995 को दोपहर 12:30 पर कराया गया है। अभियोजन कथानक के अनुसार संजीव के बायें पैर के पंजे पर अनिल ने फावड़े से मारा था। चिकित्सीय आख्यानुसार भी चोटहिल संजीव की चोट नं0–1 फटा हुआ घाव 4.0 सेमी 0.5 समी बायें पैर के पंजे के ऊपर था। जो किसी कुन्द से आना संभव है। अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अभियोजन कथानक के अनुसार चोट फावड़े से कारित किये जाने का कथन है, जबकि चिकित्सक की राय के अनुसार उक्त चोट किसी कुन्द से आना संभव है। अभियोजन द्वारा इस सम्बन्ध में कथन किया गया है कि उक्त चोट फावड़े के पिछले हिस्से से कारित हो सकती है एवं उससे इस प्रकार चोट आ सकती है। ऐसी स्थिति में अभियोजन का उक्त तर्क मान्य है। उक्त साक्षी की मुख्य परीक्षा में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है, जिससे अभियोजन कथानक पर अविश्वास किया जा सके। उक्त साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह में एवं मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों मे कोई विरोधाभास न होने के कारण उक्त साक्षी का साक्ष्य विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विश्वसनीय पाया गया है तथा मौखिक साक्ष्य का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से भी होता है।

अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–1 ओम हरी वर्मा** अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 02.04.1995 को थाना सिधौली में बहैसियत हेड मोहर्रिर के पद पर तैनात होना बताया है। उस दिन 10:20 बजे कां0 138 समीर अहमद ने थाना कोतवाली सीतापुर में थाना सिधौली पर आकर चिक संख्या 212 अपराध संख्या निल धारा 324,323,504,506 भा0द0सं0 की चिक मय तहरीर नकल चिक व नकल रपट दाखिल किया तथा मजरूव संजीव कुमार का डाक्टरी रिपोर्ट दाखिल किया। चिक के आधार पर मु0अ0सं0 62ए/95 पर मुकदमा की जी0डी0 कायमी की थी। इसका उल्लेख जी0डी0 रपट संख्या 26 दिनांक 02.04.1995 को किया था, जिसकी कार्बन कापी शामिल पत्रावली है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जो मुताबिक असल है, इस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है जिरह में ऐसा कोई साक्ष्य नही आया है जिससे अभियोजन कथानक का खण्डन होता हो।

अपीलार्थी/अभियुक्तण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि घटना के किसी भी चश्मदीद साक्षी द्वारा घटना साबित नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथानक साबित नहीं कहा जा सकता। उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा के पिता पुत्तूलाल, जो कथित घटना के समय मौजूद थे, उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उन्हें अवर न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया जा सका। वादी स्वयं चोटहिल साक्षी है, उसके साथ घटना कारित हुई है। उसके द्वारा अपने साक्ष्यों से घटना साबित की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त तर्क का कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन केस पर नही पड़ता है।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वादी मुकदमा/चोटहिल के द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य से घटना का युक्ति–युक्ति समर्थन किये जाने से उक्त साक्षी का साक्ष्य एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होना पाया गया है जिसके अनुक्रम में **नरेन्द्र नाथ कुंवारे बनाम पारस नाथ कुंवारी 2003 एस०सी०सी० (क्रिमि०) पेज 1144, स्टेट ऑफ यूपी बनाम किशन चन्द्र 2004 एस०सी०सी० (क्रिमि०) पेज 2013** की विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि चोटहिल साक्षी द्वारा दिया गया परिसाक्ष्य एक साधारण चश्मदीद गवाह के मुकाबले में अत्यन्त वजनी एवं मूलवान साक्ष्य होता है और उसके द्वारा दिये गये परिसाक्ष्य के आधार पर ही दोषसिद्धि की जा सकती है, भले ही किसी अन्य साक्ष्य से उसे संपुष्ट न किया गया हो। प्रश्नगत प्रकरण में पी0डब्ल्यू02 वादी मुकदमा ने मुख्य परीक्षा व जिरह

में जो परिसाक्ष्य दिया है उसमें एकरूपता एवं सुसंगति भी परिलक्षित होती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा चोटहिल साक्षी के साक्ष्य की विश्वसनीयता के सम्बंध में यह माना है कि वह घटना में शामिल वास्तविक अभियुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य को नही फंसायेगा। इस सम्बंध में **विधि व्यवस्था श्रवण सिंह बनाम पंजाब राज्य ए0आई0आर0 2002 सुप्रीम कोर्ट 3652, श्याम बाबू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2012 सुप्रीम कोर्ट 3311, मध्य प्रदेश राज्य बनाम मानसिंह (2003) 10 एस.सी 414** में प्रतिपादित सिद्वान्तो के आलोक में निष्कर्ष दिया गया है। जिससे विद्वान अवर न्यायालय द्वारा बचाव पक्ष के उपरोक्त तर्क में कोई बल नही पाया गया है।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा विवेचक को परीक्षित नहीं कराया गया है। इस सम्बंध में विधि व्यवस्था **बहादुर नायक बनाम बिहार राज्य जे०टी० 2000(6) सुप्रीमकोर्ट 226 एवं राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य, 2003 (47) ए०सी०सी० 1068 सुप्रीम कोर्ट** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि, यदि घटनास्थल पर उपस्थित साक्षियों के बयान विश्वसनीय है तथा घटना को साबित करते हैं तो विवेचक का परीक्षित न कराया जाना अभियोजन पक्ष के लिये घातक नहीं है। दूसरे शब्दों में विवेचक के परीक्षित न कराये जाने से चश्मदीद गवाह द्वारा दिया गया परिसाक्ष्य की विश्वसनीयता, साक्ष्य एवं सत्यता को प्रभावित नहीं करता है। इसी प्रकार की विधि व्यवस्था **अम्बिका प्रसाद बनाम स्टेट, ए0आई0आर0 2000 एस०सी० 718** की नजीर में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने दी है। ऐसी दशा में मात्र अभियोजन प्रपत्रों के साबित न होने से अभियोजन केस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस सम्बन्ध में **स्टेट ऑफ म0प्र0 बनाम मान सिंह 2003 (10) एस0सी0सी0 पेज 414** की विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि चोटहिल साक्षी द्वारा दिया गया परिसाक्ष्य अन्य साधारण साक्षियों की तुलना में अत्यन्त उच्च कोटि का परिसाक्ष्य होता है और उसके द्वारा दिया गया परिसाक्ष्य बिना सम्पुष्टि के भी दोषसिद्धि के लिये पर्याप्त है। प्रस्तुत अपील में मुख्य बिन्दु चोटहिल को आयी चोटों से सम्बन्धित है, जो कि स्वयं चोटहिल पी0डब्लू0–2 तथा अन्य गवाहों के बयान और साबित चिकित्सीय आख्या से पूर्णतया साबित है। अतः अपीलार्थी की यह आपत्ति कि प्रकरण में विवेचक को परीक्षित न कराये जाने से पुलिस प्रपत्र साबित न होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, यह आपत्ति तर्कसंगत न होने के कारण बलहीन है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य पर विचार करने के उपरान्त इस न्यायालय के विचार में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गयी साक्ष्य विश्वसनीय व सन्तोषप्रद है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा द्वारा पारित विधि व्यवस्थाओ में पारित सिद्वान्तो के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य की विस्तृत समीक्षा के उपरान्त दोषसिद्व का आदेश पारित किया गया है जो कि तथ्य सम्मत व विधि सम्मत होने के कारण उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत इस तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य में विरोधाभाष है एवं विद्वान अवर न्यायालय ने साक्षीगण के बयानों के विरोधाभाष को अनदेखा करके प्रश्नगत निर्णय व दण्डादेश पारित किया है।

अपीलार्थी/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी **मौखिक** तर्क दिया गया कि यदि न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अपीलार्थी को दोषी पाता है तथा अवर न्यायालय के आदेश में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाता है तो ऐसे में अपीलार्थी को परिवीक्षा पर छोड़े जाने का अनुरोध करते हुए तर्क दिया कि अपीलार्थी के किसी पूर्व आपराधिक इतिहास का भी जिक्र नहीं है। यह भी तर्क किया गया कि मुकदमा वर्ष सन् 1995 का है। वर्ष 1995 से अब तक वादी एवं अपीलार्थीगण के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद होने का मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नही है। अपीलार्थी/अभियुक्तगण का चाल–चलन अच्छा है। अभियुक्त सुरेश दृष्टिहीन/विकलॉग है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं चरित्र को ध्यान में रखते हुए तथा यह भी ध्यान में रखते हुए कि प्रकरण लगभग 31 वर्ष से न्यायालय में लम्बित है। अतः अपीलार्थी/अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाय।

इसके विपरीत विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क दिया गया कि अपीलार्थीगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ न दिया जाय।

दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के अनुक्रम में मैनें पुनः पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त बिन्दु पर **माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था मिलिन्द पुत्र ऐषरूबा दानवे एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था क्रिमिनल अपील नं0 229/2004**

रामलाल नंद एवं 3 अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय व्दारा 2006(2) लखनऊ कि0 रूलिंग पेज 437 पृथ्वीराज एंव अन्य बनाम कमलेश कुमार तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व्दारा 2000 इलाहाबाद कि0 जनरल पृष्ठ 239 रूपनरायन बनाम उ0प्र0 के मामलो में दी गयी विधि व्यवस्थायें सुंसंगत है, जिनमें माननीय अपीलीय न्यायालय व्दारा अपराध की प्रकृति तथा अभियुक्त के चरित्र को दृष्टिगत रखते हुए परिवीक्षा अधिनियम 1958 में विहित उपबन्धों का अनुपालन किया जाना अवधारित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि **धारा 235(2) दं0प्र0सं0** के उपबंध के अनुसार यदि अभियुक्त दोष सिद्व किया जाता है तो न्यायाधीश सिवाय जिसमें वह **धारा 360 दं0प्र0सं0** के उपबंधो के अनुसार कार्यवाही करता है, दण्ड के प्रश्न पर अभियोजन को सुनेगा और तब विधि के अनुसार उसके बारे में दण्डादेश देगा। जब कि **धारा 360 (1) दं0प्र0सं0** के उपबंध के अनुसार जब कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का नही है केवल जुर्माने से या 7 वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिये दोष सिद्व किया जाता है और अपराधी के विरूद्व कोई पूर्व दोष सिद्व साबित नही की गयी है तब, यदि उस न्यायालय को जिसके समक्ष उसे दोष सिद्व किया गया है, अपराधी की आयु, शील पूर्ववृत्त को और उन परिस्थितियो को जिनमें अपराध किया गया है, ध्यान में रखते हुये यह प्रतीत होता है कि अपराधी को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड देना समीचीन होगा तो न्यायालय उसे तुरन्त कोई दण्डादेश देने के बजाय निर्देश दे सकता है कि उसे प्रतिभुओ सहित या रहित उसके द्वारा यह बंधपत्र लिख देने पर छोड दिया जाय कि वह तीन वर्ष से अनाधिक इतनी अवधि के दौरान जितनी न्यायालय निर्दिष्ट करे, बुलाये जाने पर हाजिर होगा और दण्डादेश पायेगा और उस बीच परिशान्ति कायम रखेगा और सदाचारी बना रहेगा ।

इस सम्बंध में **धारा–4 प्रोवेशन आफ अफेन्डरस एक्ट 1958** के अनुसार जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा अपराध करने का दोषी पाया जाता है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय नही है और न्यायालय की राय में मामले की परिस्थितियों में जिसके अन्तर्गत अपराध की प्रकृति व अपराधी का चरित्र भी ध्यान में रखते हुए यदि अभियुक्तगण को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देना उचित समझता है तो न्यायालय उसे प्रतिभूति सहित या रहित बन्धपत्र पर छोड़ दिया जाय कि वह तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के दौरान जैसा न्यायालय व्दारा आदेशित किया जाय, आहूत किये जाने पर उपस्थित होगा

और दण्डादेश प्राप्त करेगा और इस बीच में परिशान्ति कायम रखेगा और सदाचारी रहेगा।

उपरोक्त के आलोक में प्रश्नगत मामले के तथ्यो के परिशीलन से स्पष्ट है कि विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्तगण का घटना से पूर्व एवं घटना के पश्चात का कोई भी आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि घटना होने के उपरान्त से अब तक अपीलार्थी एवं वादी के मध्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद भी होना नहीं बताया गया है। अपीलार्थी चाल–चलन के बावत भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। अभियुक्त सुरेश कुमार को दोनो आखो से दिखायी नही देना कहा है। ऐसी स्थिति में मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के सापेक्ष माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो एवं द0प्र0सं0 में प्राविधानित प्राविधानो एवं धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अर्न्तगत परिभाषित आवश्यक तत्वो को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के विचार में अपीलार्थी/अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध नहीं किया गया है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय हो। अपीलार्थी/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्ष 2024 में अपील दाखिल करते समय अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार एवं सुरेश कुमार की उम्र क्रमशः 50 वर्ष एवं 72 वर्ष होना बतायी है तथा अभियुक्त सुरेश कुमार को दोनो आखो से दिखायी नही देने का कथन है। दौरान विचारण सह अभियुक्त सुनील कुमार की मृत्यु हो चुकी है। अपीलार्थी/अभियुक्तगण द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति व उनके पूर्व चरित्र एवं उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी/अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा–4 परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अन्तर्गत सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जाना समीचीन होगा। तद्नुसार अपीलार्थी/अभियुक्तगण अनिल कुमार एवं सुरेश कुमार की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रश्नगत दाण्डिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि आदेश दिनॉकित 15.07.2024 से सम्बंधित दण्डादेश के परिणाम में ऑशिक रूप से परिवर्तन करते हुये अर्न्तगत धारा 323/34 भा0दं0सं0 में प्रत्येक को एक वर्ष के साधारण कारावास एवं मु0 1000 रूपये अर्थदण्ड संशोधित किया जाता है तथा अन्य धाराओ में पारित दण्डादेश यथावत रहेगा। तदुपरान्त अपीलार्थी/अभियुक्तगण अनिल कुमार एवं

सुरेश कुमार को अन्तर्गत धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाता है। अपीलार्थी/अभियुक्तगण द्वारा परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष निर्णय की दिनॉक से 30 दिन के अन्दर उपस्थित होकर एक वर्ष की अवधि के लिए पच्चीस हजार रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि की दो–दो स्थानीय प्रतिभू दाखिल करने पर धारा–4 परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अधीन इस शर्त पर उन्हें छोड़ा जाता है कि अपीलार्थी/अभियुक्तगण परिवीक्षा अवधि के दौरान सदाचार बनाये रक्खेगे तथा अपने निवास स्थान पर रहेगे तथा इस अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगें और न ही अन्य अपराध में संलिप्त होगे। समाज में परिशांति कायम रखेगे और सदाचारी बने रहेगे। यदि अपीलार्थी/ अभियुक्तगण द्वारा उक्त शर्त का उल्लंघन उक्त अवधि के दौरान किया जाता है तो न्यायालय द्वारा तलब कर उन्हें संशोधित दण्डादेश से दण्डित किया जायेगा। अपीलार्थी/अभियुक्तगण के स्वबंध पत्र व जमानतें निरस्त किये जाते है तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

इस निर्णय व आदेश की एक प्रतिलिपि प्रोबेशन अधिकारी, सीतापुर को अनुपालन हेतु प्रेषित की जाय।

इस निर्णय व आदेश की प्रतिलिपि के साथ अवर न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब अवर न्यायालय में अनुपालन हेतु प्रेषित किया जाय।

दिनांक : 14.08.2026

(आशीष जैन)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।
J.O.Code-UP -2024

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक : 14.08.2026

(आशीष जैन)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।
J.O.Code-UP -2024

अजीत.